न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2021

अनिल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामपालजी शर्मा निवासी यज्ञ के बालाजी सवाई माधोपुर चोराहा टोंक जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11—10—2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28—07—2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

श्रीमति शरबती देवी पत्नि श्री रामगोपाल महाजन निवासी तख्ता टोंक को बेचान की गई नजूल भूमि किले का मेदान क्षेत्र एंवच यज्ञ समिति किले का मेदान टोंक को बालाजी मन्दिर हेतु वर्ष 23—8—1953 में खसरा नम्बर 31353 द्वारा नजूल भूमि की सम्पूण पत्रावली मय दस्तावेज एंव मय नक्शा दिये जाने बाबत।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र कमांक :9084 दिनांक 5—10—2021 से जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना नगरपालिका टोंक से सम्बन्धित है, तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर से सम्बन्धित हैं। उक्त रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवत... टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:21 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक